न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री विनोदकुमार मल्होत्रा, आर.ए.एस.

राजस्व विविध सं. 49 / 2017
दायरा तिथि 06.09.2017
आदेश तिथि 09.01.2018

प्रार्थीया:–	**बनाम:**	**अप्रार्थी:–**
श्रीमती मंछीदेवी पत्नी डूंगारामजी जाति मेघवाल साकिन मोरली तहसील शिवगंज जिला सिरोही (राज.)		राजस्थान सरकार जरिए भूमिधारी तहसीलदार सुमेरपुर जिला पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(A) RTAct,1955

–: आ दे श :–

आदेश तिथि 09.01.2018

उपरोक्त अनबान प्रकरण अन्तर्गत प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र में अभिव्यक्त किए गये कथनों व तथ्यों एवं साक्ष्य–दस्तावेज क्रमशः ग्राम नोवी की हाल जमाबंदिया संवत् 2072–75 के खाता सं. 190 व 01, ट्रेस–नक्शा, आधार–कार्ड व नजरी नक्शा तथा अप्रार्थी की ओर से सरकार पैरोकार नायब तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र व भू–अभिलेख निरीक्षक तखतगढ की जांच रिपोर्ट के अवलोकन व परीक्षण फलस्वरूप हमने पाया है कि सरहद मौजा नोवी तहसील सुमेरपुर में स्थित प्रार्थीया के कब्जे काश्त की खातेदारी कृषि भूमि हाल खसरा नंबर 870 रकबा 1.15 हेक्टर किस्म बारानी दोयम में कृषि कार्य व सुखाधिकार के तहत आने–जाने हेतु उनकी उक्त खातेदारी कृषि भूमि के पूर्व दिशा में स्थित राजकीय सिवायचक भूमि हाल खसरा नंबर 874 रकबा 2.61 हेक्टर किस्म बारानी दोयम में से जो कि संलग्न नजरी नक्शा में बरंगलाल मार्क **A** से **B** व मार्क **B** से **C** तक दर्शित है, के अनुसार प्रस्तावित रास्ते भूमि का उपयोग व उपभोग प्रार्थीया द्वारा कदीमी से किया जा रहा है तथा उक्त प्रस्तावित रास्ता भूमि के अलावा मौके पर अन्य कोई रास्ता भूमि उपलब्ध नहीं है। इसलिए हमारे विधिक विचारों में भू–अभिलेख निरीक्षक तखतगढ की तथाकथित जांच रिपोर्ट के आधारित प्रार्थीया की खातेदारी कृषि भूमि हाल खसरा नं. 870 में कृषि कार्य व सुखाधिकार के तहत आने–जाने हेतु उनकी उक्त खातेदारी कृषि भूमि के पूर्व दिशा में स्थित राजकीय सिवायचक भूमि हाल खसरा नंबर 874 में से प्रस्तावित रास्ता भूमि जो कि संलग्न नजरी नक्शा में बरंगलाल मार्क **A** से **B** तक चौडाई में 4 मीटर **X** लम्बाई मे 100 मीटर = क्षेत्रफल 400 वर्गमीटर एवं मार्क **B** से **C** तक चौडाई में 4 मीटर **X** लम्बाई में 95 मीटर = क्षेत्रफल 380 वर्गमीटर अर्थात कुल क्षेत्रफल 780 वर्गमीटर रास्ता भूमि वर्तमान प्रचलित बाजारू दर (DLC) के आधारित दो गुणा राशि प्रार्थीया द्वारा राजकोष में अदा करने पर गैरमुमकिन व सार्वजनिक रास्ता घोषित किया जाना उचित समझते है।

लगातार–2

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

Scanned by CamScanner

अतः उल्लेखित व विवेचित तथ्यों के परिणामतः प्रार्थीया का यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी के कतिपय प्रावधान RTAct,1955 की धारा 251(A) के तहत स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा नोवी तहसील सुमेरपुर में स्थित प्रार्थीया को उनके कब्जे काश्त की खातेदारी कृषि भूमि हाल खसरा नंबर 870 रकबा 1.15 हेक्टर किस्म बारानी दोयम में कृषि कार्य व सुखाधिकार के तहत आने–जाने हेतु उनकी उक्त खातेदारी कृषि भूमि के पूर्व दिशा में स्थित राजकीय सिवायचक भूमि हाल खसरा नंबर 874 रकबा 2.61 हेक्टर किस्म बारानी दोयम में से जो संलग्न नजरी नक्शा में बरंगलाल मार्क **A** से **B** तक चौडाई में 4 मीटर **X** लम्बाई में 100 मीटर **=** क्षेत्रफल 400 वर्गमीटर एवं मार्क **B** से **C** तक चौडाई में 4 मीटर **X** लम्बाई में 95 मीटर **=** क्षेत्रफल 380 वर्गमीटर अर्थात कुल क्षेत्रफल 780 वर्गमीटर को इस सशर्त पर गैरमुमकिन सार्वजनिक रास्ता घोषित किया जाता है कि उक्त घोषित गैरमुमकिन सार्वजनिक रास्ता भूमि के क्षेत्रफल अनुसार तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा वर्तमान प्रचलित बाजारू दर (DLC) के आधारित दो–गुणा राशि का मूल्यांकन निर्धारण करने के पश्चात् निर्धारित मूल्यांकन राशि यदि प्रार्थीया द्वारा चैक / डी.डी. / चालान के जरिए राजकोष में यथासमय पर जमा करावे, तद्परान्त तहसीलदार सुमेरपुर व पटवारी हल्का नोवी उक्त आदेश के अनुरूप राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन सार्वजनिक रास्ता के तौर पर अमल दरामद व तरमीम कर पालना सुनिश्चित करे। नजरी ट्रेस नक्शा इस आदेश का अभिन्न भाग माना जायेगा।

यह आदेश बरोज आज दिनांक 09.01.2017 को विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
सुमेरपुर(पाली)

Scanned by CamScanner